

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0/मु0) चौमूं, जिला-जयपुर

मुकदमा नं०:-239/333/07

उनवान

माफि मन्दिर श्री सीतारामजी विराजमान वाके ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर जरिये पुजारी एवं व्यवस्थापक गोविन्द पुत्र कान्तीचन्द्र शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादी मन्दिर-

बनाम

1. सुवालाल पुत्र शंकरलाल
2. कालुराम पुत्र शंकरलाल
3. लालाराम पुत्र शंकरलाल
4. कैलाशचन्द पुत्र शंकरलाल
5. श्योसहाय पुत्र नाथूराम
6. प्रहलाद पुत्र नाथूराम
7. बाबूलाल पुत्र नाथूराम
8. चेताराम उर्फ चेत्या पुत्र नाथूराम
9. हनुमान पुत्र छीतर
10. जगदीश पुत्र छीतर
11. भैरुमल पुत्र छीतर
12. भंवर पुत्र छीतर

समस्त जातियान माली, निवासी मोरीजा-चौमूं रोड, गंज्या की ढाणी, ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय, जयपुर, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
निर्णय

दिनांक :-02.12.2024

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं जिला जयपुर में मन्दिर श्री सीतारामजी महाराज का विराजमान है। वादी उक्त मन्दिर का व्यवस्थापक और पुजारी है जो मन्दिर की सेवा, पूजा व भोग-व्यवस्था का कार्य करता आ रहा है। वादी मन्दिर की खातेदारी के आराजी भूमि साबिक खसरा नम्बर 464/2325 रकबा 5 बीघा तथा खसरा नम्बर 465 रकबा 26 बीघा 2 बिस्वा कुल खसरा नम्बर 2 का कुल रकबा 31 बीघा 2 बिस्वा है। जिसके हाल खसरा नम्बर 983/4990 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 984/4989 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 985/4988 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 986/4987 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 987/4986 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 988/4985 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 990 रकबा 0.32 है0, खसरा

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

नम्बर 991 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 992 रकबा 0.48 है0, खसरा नम्बर 993 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 994 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 995 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 996 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 997 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 998 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 999 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 1000 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1001 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 1002 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 1003/4992 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 1004/4991 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 1005 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 1008 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 1009 रकबा 0.70 है0, खसरा नम्बर 1010 रकबा 0.70 है0, खसरा नम्बर 1011 रकबा 0.76 है0, खसरा नम्बर 1012 रकबा 0.70 है0, खसरा नम्बर 1013 रकबा 0.14 है0, खसरा नम्बर 1014 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 3258 रकबा 0.01 है0 कुल किता 30 का कुल रकबा 7.41 है0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि ही वाद हाजा में विवादग्रस्त भूमि है। वादी मन्दिर की उक्त विवादित भूमियों में बने चाह में विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है। जिस मन्दिर की भूमिया की सिंचाई होती आ रही है। वादी मन्दिर अवयक्त है और मन्दिर की समस्त खातेदारियों को हमेशा साल दर साल काशत का कार्य बंटाई पर प्रतिवादीगण से करवाया जाता रहा है तथा बंटाई से होने वाली आय से मन्दिर की सेवा-पूजा, टूट-फूट, भोग, मेला आदि की व्यवस्था का खर्चा का भार वहन किया जाता आ रहा है तथा मन्दिर में धार्मिक भावना से सत्संग किया जाता आ रहा है। प्रतिवादीगण की नियत अब खराब हो गई हैं और वह मन्दिर की अपरोक्त भूमि विवादग्रस्त में जबरन कब्जा करके हडप करने की नियत रखते हैं तथा मन्दिर की सेवा-पूजा, भोग की सम्पूर्ण व्यवस्था में प्रतिवादीगण व्यवधान करने को तत्पर रहते हैं। जिसकी की उनको कोई कानूनी हक, अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 ने आपस में मिलीभगत करके वादी मन्दिर की उक्त भूमियों को जबरन हडप करने की गरज से मन्दिर की होने वाली आय में व्यवधान उत्पन्न करने लगे हैं। दिनांक 12.10.2007 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 12 ने मन्दिर श्री सीतारामजी की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमामा हो गये। जिनको वादी मन्दिर के पुजारी व व्यवस्थापक ने मना किया तो प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि हम तो जबरन काशत करेंगे व उक्त भूमि को छोटे-छोटे भूखण्डों में कांटकर, उन पर पुख्ता निर्माण करवायेंगे व अकृषि प्रयाजनार्थ बेचान करेंगे व मन्दिर की बनी हुई पुख्ता दुकानों का बेचान किसी दीगर शख्स को करके रहेंगे व भूमि में खड़े पेड़ों को काटेंगे व मन्दिर के उपयोग व उपभोग में बाधा कारित करेंगे। जिस कारण यह वाद श्रीमान् के समक्ष पेश करना लाजमी हुआ हैं।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद वादी बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर विवादग्रस्त भूमि कुल खसरा नम्बर 30 का कुल रकबा 7.41 है0 वाके ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में प्रतिवादीगण वादी मन्दिर की भूमि में किसी प्रकार से कृषि से अकृषि में परिवर्तन नहीं करें, ना ही भूमि

सहायक कलकत्ता
(फास्ट ट्रेक)
जयपुर



को प्लाटों में बेचान करें, ना ही निर्माण करें, ना ही खुर्द बुर्द करें, ना ही कोई कॉलोनी हेतु रास्ते कायम करें, ना ही उक्त कार्य स्वयं करें, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमेन, ठेकेदार आदि से करवायें एवं प्रतिवादी संख्या 13 व 14 उक्त आराजी के रिकॉर्ड में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं करें ना ही अन्य से करवायें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा तहसीलदार चौमूं से उक्त विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में बिन्दुवार तथात्मक रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार चौमूं ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उक्त खसरा नम्बरान् पर मौके पर पक्का निर्माण, रास्ते आदि कायम है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 के खाता संख्या 624 में खातेदार मन्दिर श्री सीताराम जी विराजमान देह हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मन्दिर एक शाश्वत नाबालिक है एवं मन्दिर माफी व राजकीय प्रतिबन्धित भूमि होने से उक्त भूमि कि सुरक्षा करना लोकदायित्व है। प्रतिनिधित्व की दृष्टि से राजहित में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादी का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि साबिक खसरा नम्बर 464/2325 रकबा 5 बीघा तथा खसरा नम्बर 465 रकबा 26 बीघा 2 बिस्वा कुल खसरा नम्बर 2 का कुल रकबा 31 बीघा 2 बिस्वा है। जिसके हाल खसरा नम्बर 983/4990 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 984/4989 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 985/4988 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 986/4987 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 987/4986 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 988/4985 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 990 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 991 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 992 रकबा 0.48 है0, खसरा नम्बर 993 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 994 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 995 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 996 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 997 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 998 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 999 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 1000 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1001 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 1002 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 1003/4992 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 1004/4991 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 1005 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 1008 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 1009 रकबा 0.70 है0, खसरा नम्बर 1010 रकबा 0.70 है0, खसरा नम्बर 1011 रकबा 0.76 है0, खसरा नम्बर 1012 रकबा 0.70 है0, खसरा नम्बर 1013 रकबा 0.14 है0, खसरा नम्बर 1014 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 3258 रकबा 0.01 है0 कुल कित्ता 30 का कुल रकबा 7.41 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं जिला जयपुर में किसी प्रकार से दखलन्दाजी,

मन
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

मुकदमा सं-239/333/2007
उनवान- माफि मन्दिर श्री सीमाराम जी बनाम सुवालाल
निर्णय दिनांक- 02.12.2024

खुर्द बुर्द आदि नहीं करें तथा कृषि भूमि से अकृषि भूमि में परिवर्तन नहीं करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत सख्त पाबन्ध किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम तथा दाखिल दफतर हो।

सहायक कलेक्टर
(फा020/मुख्यालय) चौमूँ
घोमूँ (जयपुर)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला-जयपुर
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं०:-239/333/2007

उनवान

माफि मन्दिर श्री सीतारामजी विराजमान वाके ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर जरिये पुजारी एवं व्यवस्थापक गोविन्द पुत्र कान्तीचन्द्र शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादी मन्दिर-

बनाम

1. सुवालाल पुत्र शंकरलाल
2. कालुराम पुत्र शंकरलाल
3. लालाराम पुत्र शंकरलाल
4. कैलाशचन्द्र पुत्र शंकरलाल
5. श्योसहाय पुत्र नाथूराम
6. प्रहलाद पुत्र नाथूराम
7. बाबूलाल पुत्र नाथूराम
8. चेताराम उर्फ चेत्या पुत्र नाथूराम
9. हनुमान पुत्र छीतर
10. जगदीश पुत्र छीतर
11. भैरुमल पुत्र छीतर
12. भंवर पुत्र छीतर

समस्त जातियान माली, निवासी मोरीजा-चौमूं रोड, गंज्या की ढाणी, ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय, जयपुर, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं०:-239/333/2007

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरु हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रुबरु श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

विवादित भूमि साबिक खसरा नम्बर 464/2325 रकबा 5 बीघा तथा खसरा नम्बर 465 रकबा 26 बीघा 2 बिस्वा कुल खसरा नम्बर 2 का कुल रकबा 31 बीघा 2 बिस्वा है। जिसके हाल खसरा नम्बर 983/4990 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 984/4989 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 985/4988 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 986/4987 रकबा 0.13 है0, खसरा

(कनक)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)



नम्बर 987/4986 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 988/4985 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 990 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 991 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 992 रकबा 0.48 है0, खसरा नम्बर 993 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 994 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 995 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 996 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 997 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 998 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 999 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 1000 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1001 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 1002 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 1003/4992 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 1004/4991 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 1005 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 1008 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 1009 रकबा 0.70 है0, खसरा नम्बर 1010 रकबा 0.70 है0, खसरा नम्बर 1011 रकबा 0.76 है0, खसरा नम्बर 1012 रकबा 0.70 है0, खसरा नम्बर 1013 रकबा 0.14 है0, खसरा नम्बर 1014 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 3258 रकबा 0.01 है0 कुल किता 30 का कुल रकबा 7.41 हैक्टियर भूमि वाके ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं जिला जयपुर में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से दखलन्दाजी, खुर्द बुर्द आदि नहीं करें तथा कृषि भूमि से अकृषि भूमि में परिवर्तित नहीं करें।

निजीमबलिक बाबतखर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह
..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 02.12.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत (म)न
सहायक कलक
ओहदाफास्ट ट्रेक
चौमूं (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	0
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय	
7.बाबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	0

(म)न
सहायक कलक
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)